न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–348 सन् 2016

राजेश सिंह.....वादी।

बनाम

लक्ष्मी नारायण सिंह वो अन्य .....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 02.06.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 4 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 29.09.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 02 लालमुनी देवी दिनांक 09.05.2022 को अपने निवास स्थान पर देहांत कर गई है। इसलिए प्रतिवादी सं0 02 का नाम अर्जीदावी से कलमजद करना जरूरी हो गया है तथा प्रतिवादी सं0 02 के कानूनी वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करना आवश्यक हो गया है। प्रतिस्थापना आवेदन दाखिल करने में जानबूझकर विलंब नहीं किया है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 02 लालमुनी देवी का नाम अर्जीदावी से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की कृपा प्रदान की जाए। वादी की ओर से धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने हेतु तथा एबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु भी आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 15.10.2022 को दाखिल कर कथन है कि वादी ने जिस तरीके का सवाल दाखिल किया है वह हरगिज स्वीकार होने योग्य नहीं है कि बल्कि काबिले खारिज के है। वादी का सवाल विलंब अवस्था में दाखिल किया गया है तथा वादी को प्रतिवादी सं0 02 की मृत्यु की जानकारी पूर्व से थी परंतु उन्होंने जानबूझकर कर आवेदन दाखिल करने में विलंब किया है। अतः निवेदन है कि वादी का सवाल को खारिज फरमाया जाये।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी प्रतिवादी सं0 02 लालमुनी देवी का नाम अर्जीदावी से कलमजद करने तथा उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने हेतु दाखिल किया है। वादी का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादी सं0 02 लालमुनी देवी दिनांक 09.05.2022 को अपने निवास स्थान पर देहांत कर गई है। इसलिए प्रतिवादी सं0 02 का नाम अर्जीदावी से कलमजद करना जरूरी हो गया है तथा प्रतिवादी सं0 02 के कानूनी वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करना आवश्यक हो गया है। प्रतिस्थापना आवेदन दाखिल करने में जानबूझकर विलंब नहीं किया है। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन शपथ पत्र के साथ समर्थित है तथा विलंब से दाखिल किया गया है जिसके कारण वाद अबेट कर गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल उक्त प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 29.09.2022 को 500/—रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए तथा उपसमन अपास्त करते हुए न्यायाहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि प्रतिवादी को प्रदान करें।

वाद दिनांक.....को वादी की ओर से साक्ष्य हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।